

फर्द अहकाम

कजौड बनाम गोकुल

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 154/2023

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		<p>प.ट. मनोहरपुरा मु.अ.नं. लालगढ तह-कम जिला जयपुर के संबंध में उभयपक्षों के जरिमे अंतरिम अध्यापी निवेदनाओं से पक्के किया जाता है कि उभयपक्ष आ-वा-पैशी डिबेन्ड 150224 तक मौके व रिकार्ड की सहायिका बनाये रखें। पत्रावली कालें शेष अप्रार्थी के इंजारे तक ही एवं जवाब काउन्टर T-D दिनांक 150224 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">/s/</p>
15/4/24		<p>पत्रावली पेश हुई। P.O. साहय बोध जब कार्य में व्यस्त रहने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक 28/3/24 को पेश हो।</p>
28/3/24		<p>पत्रावली पेश हुई। P.O. साहय बोध जब कार्य में व्यस्त रहने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक 29/5/24 को पेश हो।</p>
09/5/24		<p>पत्रावली पेश हुई। वकील वादी के अनुसार दिनांक 21/6/24 को पेश हो।</p>
24/06/24		<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी व अप्रार्थी ख. 4 के अधिवक्ता उपस्थित। प्रकरण में अप्रार्थीगण के तामोना हूमे, दो माह से भी अधिक समय हो चुका है, बावजूद सम्यक तामोना हाजिर अदालत नहीं आने पर अप्रार्थी ख. 1 ता 3 व 5 ता 8 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।</p>

फर्द अहकाम

कजोड

बनाम गोटुल

सहायक कलक्टर, बस्सी

पत्र/मुकदमा नम्बर : 154/2023

आज्ञा
गाही

आज्ञा विस्तृत रूप से

विशेष विव

प्रकरण में बहस वकुलाय उभय
पक्ष की सुनी गई

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों
का अवलोकन करने तथा उभय
पक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर
मनन करने के उपरान्त विवादित
आराजी भूमि खसरा नम्बर 50/1
व ख. न. 50/2 स्थित ग्राम चक
भाजूपुर। प. ह. मनोहरपुरा ILR क्षेत्र
लालगढ़ तह. बस्सी जिला जयपुर
में उभयपक्षों को जरिये अस्थाई
निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता
है कि उभयपक्ष उक्त विवादीत
आराजी पर ताफैसला वाद के
मौके व रिकार्ड की रक्षारक्षिति
बनाये रखें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर
वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

लगा